


राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(एम-408)/2018/ दिनांक:-

आदेश

श्रीमती मनोहर गहलोत, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर के आदेश क्रमांक 575/9774-81 दिनांक 29.05.2018 की पालना में दिनांक 30.05.2018 से निदेशालय में अग्रिम पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में है, का पदस्थापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर के अधीन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पद पर किया जाता है।


(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(एम-408)/2018/1228

दिनांक:- 08/06/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि कार्मिका के विरुद्ध आरोपों के संबंध में जांच कर दोषी पाये जाने पर सीसीए नियमों के तहत कार्यवाही कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराने की व्यवस्था करावें।
2. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. श्रीमती मनोहर गहलोत, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को आज दिनांक 08/06/18 को कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी उपस्थिति अविलम्ब मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को प्रस्तुत करें।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।


(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर